रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012022-232593 CG-DL-E-12012022-232593

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] No. 143] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2022/पौष 22, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2022/PAUSHA 22, 1943

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

का.आ. 147(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जुलाई, 2022 को उस तारीख के रूप में एतद्वारा नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 80 के खंड (i) के द्वितीय और तृतीय परंतुक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.I.] के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 11th January, 2022

S.O. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 1st July, 2022, as the date on which the provisions of second and third proviso to clause (i) of section 80 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1 /1 /2018-CL.I] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

212 GI/2022